4* पेंशन की गणना

4.1 पेंशन की गणना की विधि – पेंशन की राशि का निर्धारण अंतिम माह के मूल वेतन (वेतन बैंड में वेतन +ग्रेड पे) के आधार पर होगा। 33 वर्ष की पूर्ण सेवा होने पर अंतिम माह के मूल वेतन का 50 प्रतिशत की दर से पूर्ण पेंशन देय होगी। न्यूनतम पेंशन 3025/– प्र.मा. हैं।

4.2

पेंशन की गणना–

यदि अर्हतादायी सेवा की अवधि 33 वर्ष से कम है परन्तु 10 वर्ष या अधिक है तो स्वीकार्य पेंशन की राशि अर्हतादायी सेवा की अवधि के अनुपात में होगी । उदाहरण के लिये यदि किसी शासकीय कर्मचारी का मूल अंतिम माह का वेतन 9300+3200 है। और वह 30 वर्ष की अर्हतादायी सेवा पूर्ण करके सेवानिवृत्त होता है तो उसकी पेंशन निम्नानुसार संगणित की जायेगी :–

$$\frac{6000+3200}{2} \times \frac{60}{66} = 5681.81 \text{ रूपये।}$$

(पूर्णांक में करने पर 5682/–रूपये)

4.3 पेंशन का सूत्र –

$$\text{पेंशन} = \frac{\text{अंतिम माह का मूल वेतन(वेतन बैंड + ग्रेड पे)}}{2} \times \frac{\text{अर्हतादायी सेवा के अर्द्व वर्षो की संख्या}}{66}$$

= रूपये प्र.मा।

विभिन्न श्रेणियों जैसे– अधिवार्षिकी पेंशन; असमर्थता पेंशन; निवृत्तमान पेंशन और क्षतिपूरक पेंशन की गणना की विधि एक जैसी ही होती है ।